निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 16 / 2022
दायरा दिनांकः–25.02.2022
निर्णय दिनांकः– 29.1.25

उनवान

1. राजेन्द्र आयु 45 वर्ष आत्मज सत्यनारायण जाति धाकड निवासी ग्राम भीलवाडा नीचा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. सत्यनारायण आयु 70 वर्ष आत्मज धुलीलाल जाति धाकड निवासी ग्राम भीलवाडा नीचाा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
2. मुकेश आयु 35वर्ष आत्मज सत्य नारायण जाति धाकड़ निवासी ग्राम भीलवाड़ा नीचा तहसील छबड़ा जिला बारां (राज०)
3. बालकृष्ण आयु 31 वर्ष आत्मज सत्यानारायण जाति धाकड़ निवासी ग्राम भीलवाड़ा नीचा तहसील छबड़ा जिला वारा (राज०)
4. विनोद आयु 28 वर्ष आत्मज सत्य नारायण जाति धाकड़ निवासी ग्राम भीलवाड़ा नीचा तहसील छबड़ा जिला बारां (राज०)
5. मुस० पुष्पलता आयु 40 वर्ष बैवा सुरेश जाति धाकड़ निवासी ग्राम भीलवाड़ा नीचा तहसील छबड़ा जिला बारा (राज०)
6. मुस० कमलाबाई आयु 65 वर्ष पत्नि सत्यनारायण जाति धाकड़ निवासी ग्राम भीलवाड़ा नीचा तहसील छबड़ा जिला बारां (राज०)
7. मुस० गायत्रीबाई आयु 50वर्ष पुत्री सत्य नारायण जाति धाकड़ निवासी ग्राम भीलवाड़ा नीचा तहसील छबड़ा जिला बारां (राज०) हाल मुकाम कोहन तह० बम्बोरी जिला गुना मध्यप्रदेश
8. मुस० निर्मला आयु 37वर्ष पुत्री सत्य नारायण जाति धाकड़ निवासी ग्राम भीलवाड़ा नीचा तहसील छबड़ा जिला बारां (राज०) हाल मुकाम छबड़ा जिला बारां (राज०)
9. अनुराग आयु 14 वर्ष नाबालिंग आत्मज सुरेश वलि सरपरस्त माता स्वंय पुष्पलता जाति धाकड़ निवासी ग्राम भीलवाड़ा नीचा तहसील छबड़ा जिला बारां (राज०)
10. शीतल आयु 16वर्ष नाबालिंग पुत्री सुरेश वलि सरपरस्त माता स्वंय पुष्पलता जाति धाकड निवासी ग्राम भीलवाडा नीचा तहसील छबडा जिला बारां
11. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज0)
12. उपपंजीयन अधिकारी छबडा जिला बारां (राज0)

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा, 53,88,89,91,188 आर0 टी0 एक्ट0

निर्णय दिनांकः– 29.1.25

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री कमल सिंह आशावत – वादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा,53,88,89,91,188 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम भीलवाड़ा नीचा तहसील छबड़ा जिला बारां (राज०) में भूमियां खसरा नम्बरान 372/1 रकबा 11 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 408 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा. खसरा नम्बर 470 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 475 रकबा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 490 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 540 रकबा 16 बीघा 10 बिस्वा कुल 6 किता आराजीयात मवाजी 34 बीघा 15 बिस्वा, अवस्थित है, जो वादी के पिता प्रतिवादी कम संख्या 1 के खातेदारी अर्थात् राजस्व रिकॉर्ड भू० अभिलेख जमाबंदी में दर्ज चली आ रहीं है। उक्त वर्णित भूमियो मे से भूमि खसरा नम्बर 470 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 490 रकबा 11 बिस्वा जो बाग वाली बाड़ी एंव चबूतरे वाली बाड़ी है को प्रतिवादी कम संख्या 1 ने अपने पास रखते हुये शेष भूमियां खसरा नम्बरान 372/1 रकबा 11 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 408 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 475 रकबा 17 बिस्वा खसरा नम्बर 540 रकबा 16 बीघा 10 बिस्वा का आपसी पारिवारिक विभाजन प्रतिवादी कम संख्या 1 सत्यनारायण ने अपने पुत्रो वादी तथा प्रतिवादीगण कम संख्या 2 ता 4 एंव अपने स्वर्गीय पुत्र सुरेश की पत्नि प्रतिवादी कम संख्या 5 के मध्य अपनी स्वेच्छा एंव राजी खुशी से अर्सा लगभग 15 वर्षों पूर्व हिस्सा बराबर से अर्थात् हिस्सा 1/5–1/5 के अनुपात से कर वादी को उसके 1/5 हिस्से पर इसी प्रकार प्रतिवादीगण कम संख्या 2 को हिस्सा 1/5 एव प्रतिवादी कम संख्या 3 को उसके 1/5 हिस्से पर प्रतिवादी कम संख्या 4 को उसके 1/5 हिस्से पर तथा प्रतिवादनी कम संख्या 5 को उसके 1/5 हिस्से पर कब्जा सभेला दिया आपसी पारिवारिक विभाजन का बटवारा नामा स्वंय खातेदार प्रतिवादी कम संख्या 1 सत्यनारायण ने रूबरू गवाहान लेखबृद्ध कराकर असल बटवारा नामा अपने स्वंय के पास रखकर उसकी फोटो कॉपियां कराकर वादी एंव प्रतिवादीगण कम संख्या 2 ता 5 को समंला दी। प्रतिवादी कम संख्या 1 के द्वारा किये गये आपसी पारिवारिक विभाजन के अनुसार वादी को भूमि खसरा नम्बर 372/1 रकबा 11 बीघा 4 बिस्वा मे से हिस्सा 1/5 जो प्रतिवादी कम संख्या 2 के हिस्से के बाद बजानिब दक्षिण दिशा एवं भूमि खसरा नम्बर 408 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा मे से हिस्सा 1/5 जो प्रतिवादी कम संख्या 2 के हिस्से के पश्चात् बजानिब पश्चिमी दिशा से पूर्वी दिशा में है। एव भूमि, खसरा नम्बर 475 रकबा 17 बिस्वा मे से हिस्सा 1/5 बजानिब पश्चिम दिशा, तथा खसरा नम्बर 540 रकबा 16 बीघा 10 बिस्वा, मे से हिस्सा 1/5 बजानिब पश्चिम दिशा पर आधिपत्य सभलाया गया इसी प्रकार प्रतिवादीगण कम संख्या 2 ता 5 प्रत्येक को भी भूमियो का विभाजन कर उनके हिस्से 1/5 एवं 1/5 की भूमियो पर आधिपत्य समंला दिया जब से ही अर्थात् गत 15 वर्षों से नियमित रूप से अभी तक बेहेसियत मालिक एव खातेदारान के वादी तथा प्रतिवादीगण कम संख्या 2 ता 5 अपने अपने हिस्से में प्राप्त हुयी

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

भूमियो पर काबिज है और काश्त करते हुये चले आ रहे है, वादी ने मौजूदा समय में अपने हिस्से की भूमियो मे फसल सरसो लहसुन तथा गेहूँ इत्यादि बो रखे है। वादी एंव प्रतिवादीगण कम संख्या 2 ता 5 का उनके हिस्से एवं कब्जे काश्त मे प्राप्त हुयी भूमियो पर नियमित रूप से अभी तक गत् 15 वर्षो से बेहेसियत मालिक एंव खातेदार के कब्जा काश्त होने के कारण वादी एवं प्रतिवादीगण कम संख्या 2 ता 5 को उसके हिस्से में प्राप्त हुई भूमियो पर ऐडवर्स पजेशन (कब्जा मुखालफाना) हो चुका है। और बाई ऑपरेशन ऑफ ला के तहत् वादी तथा प्रतिवादीगण कम 2 ता 5 अपने अपने हिस्से में प्राप्त हुयी भूमियो पर स्वतः ही खातेदारी की श्रेणी को प्राप्त कर चुके है और धारा 63 राजस्थान टेनेसी एक्ट के प्रावधानो के तहत मूल खातेदार अर्थात् प्रतिवादी कम संख्या 1 की खातेदारी स्वतः ही समाप्त हो चुकी है। इस कारण भी वादी तथा प्रतिवादीगण कम संख्या 2 ता 5 अपने अपने हिस्से एव कब्जे काश्त मे प्राप्त हुयी भूमियो को अपने नाम खातेदारी मे दर्ज कराने के वैधानिक एवं कानूनी तौर पर अधिकारी है। वादी ने प्रतिवादी कम संख्या 11 तहसीलदार छबड़ा के समन्धित रेवेन्यू अधिकारियो से सम्पर्क कर भूमिया खसरा नम्बरान 372/1 रकबा 11 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 408 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 475 रकबा 17 बिस्वा खसरा नम्बर 540 रकबा 16 बीघा 10 बिस्वा, वाके माल भीलवाड़ानीचा तहसील छबड़ा के हिस्सा 1/5 को वादी के नाम एंव हिस्सा 1/5 को प्रतिवादी कम संख्या 2 के नाम एंव हिस्सा 1/5 प्रतिवादी कम संख्या 3 के नाम तथा हिस्सा 1/5 प्रतिवादी कम संख्या 4 के नाम इसी प्रकार हिस्सा 1/5 प्रतिवादी कम संख्या 5 के नाम शामलाती खातेदारी मे दर्ज करने का कई मर्तबा अनुरोध किया किन्तु वादी की कोई सुनवाई नहीं की अन्त मे दिनांक 25/1/2022 को पुनः अनुरोध करने पर प्रतिवादी कम संख्या 11 तहसीलदार छबड़ा द्वारा वादी को सक्षम न्यायालय मे वाद पेश करने की हिदायत दी। वादी ने आपसी पारिवारिक विभाजन में प्राप्त हुयी भूमिया का विभाजन करने हेतु प्रतिवादीगण कम संख्या ता 5 से अनुरोध किया तो उन्होने वादी के साथ लड़ाई झगडा एंव मारपीट की और दिनांक 12/02/2022 को भूमियो का विभाजन करने से कतई इनकार कर भूमियो के अन्यंत्र रहन, बैय, तथा हस्तान्तरण करने तथा वादी द्वारा बोई गई फसलो को जबरन काट कर ले जाने की वादी को धमकी दी अतः यही दिनांक 12/02/2022 विनाय मुखासमत वाद कायम किया जाता है। यदि प्रतिवादीगण कम संख्या 1 ता 5 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद नही किया जाता है तो वह जबरन ताकत के बल पर वह वादी के हिस्से एंव कब्जे काश्त मे चली आ रही भूमियां हिस्सा 1/5 पर वादी आधिपत्य कर भूमियो को अन्यंत्र रहन वैय, तथा हस्तान्तरण कर देगे और वादी द्वारा बोई फसलो को काटकर ले जायेगे जिसके फलस्वरूप वादी को दीगर मुकदमे बाजियो में मशरूफ होकर जेरबार होना पड़ेंगा और वादी के भंयकर रूप से आर्थिक क्षति होगी जिसकी पूर्ती होना नितांत असम्भव हो जावेगा अतः वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी कराने का वैधानिक एंव कानूनी तौर पर अधिकारी है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के सम्मन वाद तामील प्राप्त बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

की गई। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम भीलवाडा नीचा सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 300 नकल नक्शा ट्रेस ग्राम भीलवाडा नीचा नकल जमाबन्दी ग्राम भीलवाडा नीचा सम्वत् 2013–16 खाता संख्या 60 नकल बटवारा नामान्तरण दिनांक 07.07.2022 पेश किया गया। साक्ष्य वादी में PW1 राजेन्द्र PW2 गणेशलाल PW3 शिवचरण PW4 लक्ष्मण के शपथ पत्र पेश किये गयें।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई बहस के दौरान वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील वादी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम भीलवाडा नीचा तहसील छबडा में स्थित है। जो वादी के पिता प्रतिवादी क्रम 1 के खातेदारी में दर्ज है वादी के पिता सत्यनारायण ने खसरा नम्बर 470 व 490 की भूमि अपने पास रखतें हुए शेष भूमि का बटवारा अपने पुत्र प्रतिवादी क्रम 2 ता 5 के मध्य हिस्स 1/5– 1/5 आपसी सहमति से कर दिया था। आपसी बटवारा नाम लिखवा कर गवाहन के हस्ताक्षर करवाये तभी से वादी एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से की भूमि पर काश्त करते चले आ रहे है बाकी आपसी सहमति के आधार पर किये गये बटवारा के आधार पर अलग खातेदारी चाहता है विवादित आराजी वादी के दादा धुल्या के प्राप्त हुई है जो पैत्रत सम्पत्ति है वादी पैत्रक सम्पत्ति में अपना हिस्सा प्राप्‍ करने का अधिकारी हे वादी को आपसी सहमति से किये गये बटवारे एवं पैत्रक सम्पत्ति होने के कारण वादी अपना हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है वादी का वाद स्वीकार फरमाया जावें।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम भीलवाडा नीचा सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 300 के अनुसार सत्यनारायण पुत्र धुलीलाल कोम धाकड सा0देह के खातेदारी में दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम भीलवाडा नीचा सम्वत् 2013–16 खाता संख्या 60 के अनुसार धुल्या बेटा भेरिया माता धाकड वास ग्राम दर्ज रिकार्ड है नकल बटवारा नामा0 दिनांक 07.07.2022 के अनुसार खातेदार सत्यनारायण द्वारा अपने पुत्रो के मध्य भूमि का बटवारा कर बटवारा नाम लिखवाया था। प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 470 एवं 490 को छोडकर शेष भूमि में 1/5 हिस्से पर खातेदारी अधिकरों की घोषणा का दावा किया है एवं इस दावे का मूल आधार वादी के पिता द्वारा किये गये आपसी परिवारिक विभाजन को बनाया गया है। यह विचारणीय है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पारिवारिक विभाजन की प्रतिलिपी पत्रावली में संलग्न है, इसे पैत्रिक सम्पत्ति में अधिकार रखने वाले समस्त व्यक्तियों के मध्य पारिवारिक विभाजन नही मना जा सकता। दूसरा, यह दस्तावेज साक्ष्य में ग्राहय नही है।वादी का अपने पिता की पैत्रिक सम्पत्ति में जन्मजात अधिकार है परन्तु वादी द्वारा ना तो सजरा के माध्यम से या ना ही वाद में अन्य तरीके से अपना निर्धारित हिस्सा बता कर अनुतोष चाहा गया है। चुंकि वाद में प्रतिवादी संख्या 7/8 सत्यनारायण (वादी के पिता) की पुत्रिया है ऐसी स्थिती में वादी का हिस्सा 1/5 किस आधार पर तय होगा?वादी द्वारा जिस आधार पर अनुतोष चाहा गया है वह साबित नही है। एवं वादी द्वारा अपने हिस्से के सम्बन्ध में स्पष्ट अनुतोष नही चाहा गया है अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित नही है।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हों।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां (राज0)

डिक्री

वाद संख्या 16/2022	धारा 53,88,89,91,188 आर टी एक्ट	निर्णय दिनांकः–
समक्ष : **श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां**		
उपस्थिति :अभिभाषकवादीः–श्री कमल सिंह आशावत–वादी	अभिभाषक प्रतिवादीः–	

वाद शीर्षक

उनवान

1. राजेन्द्र आयु 45 वर्ष आत्मज सत्यनारायण जाति धाकड निवासी ग्राम भीलवाडा नीचा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. सत्यनारायण आयु 70 वर्ष आत्मज धुलीलाल जाति धाकड निवासी ग्राम भीलवाडा नीचाा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
2. मुकेश आयु 35वर्ष आत्मज सत्य नारायण जाति धाकड़ निवासी ग्राम भीलवाड़ा नीचा तहसील छबड़ा जिला बारां (राज०)
3. बालकृष्ण आयु 31 वर्ष आत्मज सत्यानारायण जाति धाकड़ निवासी ग्राम भीलवाड़ा नीचा तहसील छबड़ा जिला वारा (राज०)
4. विनोद आयु 28 वर्ष आत्मज सत्य नारायण जाति धाकड़ निवासी ग्राम भीलवाड़ा नीचा तहसील छबड़ा जिला बारां (राज०)
5. मुस० पुष्पलता आयु 40 वर्ष बैवा सुरेश जाति धाकड़ निवासी ग्राम भीलवाड़ा नीचा तहसील छबड़ा जिला बारा (राज०)
6. मुस० कमलाबाई आयु 65 वर्ष पत्नि सत्यनारायण जाति धाकड़ निवासी ग्राम भीलवाड़ा नीचा तहसील छबड़ा जिला बारां (राज०)
7. मुस० गायत्रीबाई आयु 50वर्ष पुत्री सत्य नारायण जाति धाकड़ निवासी ग्राम भीलवाड़ा नीचा तहसील छबड़ा जिला बारां (राज०) हाल मुकाम कोहन तह० बम्बोरी जिला गुना मध्यप्रदेश
8. मुस० निर्मला आयु 37वर्ष पुत्री सत्य नारायण जाति धाकड़ निवासी ग्राम भीलवाड़ा नीचा तहसील छबड़ा जिला बारां (राज०) हाल मुकाम छबड़ा जिला बारां (राज०)
9. अनुराग आयु 14 वर्ष नाबालिंग आत्मज सुरेश वलि सरपरस्त माता स्वंय पुष्पलता जाति धाकड़ निवासी ग्राम भीलवाड़ा नीचा तहसील छबड़ा जिला बारां (राज०)
10. शीतल आयु 16वर्ष नाबालिंग पुत्री सुरेश वलि सरपरस्त माता स्वंय पुष्पलता जाति धाकड निवासी ग्राम भीलवाडा नीचा तहसील छबडा जिला बारां
11. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज0)
12. उपपंजीयन अधिकारी छबडा जिला बारां (राज0)

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।

आदेश मेरे हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 29.1.25 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
छबडा जिला–बारां

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

व्ययानुतोष

क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वदपत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषकपत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थनापत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिकअभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीसकमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		